यूपी में बड़े निवेश के लिए बनाए जाएंगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन

दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निर्माण एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। यूपी को दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (एसआईआर) एक्ट लागू होगा। एक्ट को निर्माण (नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग) नाम दिया गया है। इसके तहत प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों में कम से कम चार स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे। मंगलवार को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर ने बताया कि इस तरह का एक्ट अभी तक केवल गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में है। यूपी इसे लागू करने वाला देश का चौथा राज्य होगा। उन्होंने बताया कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में बड़ा निवेश होता है। इनके जल्द विकास के लिए अधिकारों को राज्य सरकार और प्राधिकरण में बांट दिया जाता है। इनकी मास्टर प्लानिंग में बदलाव प्राधिकरण स्तर पर ही किया जा सकता है और एनओसी व क्लीयरेंस भी स्थानीय स्तर पर जारी हो सकते हैं। ये ईज आफ डूइंग बिजनेस का ही दूसरा रूप है।

अनिल कुमार सागर ने बताया कि दस खरब डालर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट रीजन बनाने होंगे। अभी एक्ट के तहत निवेश के लिए जमीन की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि इसमें बड़ा क्षेत्र रखा जाएगा।

लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में मौजूद सीएम योगी। -सूचना विभाग

अभी 190 एकड़ का लैंड बैंक

सलाहकार कंपनी डेलायट के मुताबिक यूपी को दस खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दो लाख एकड़ जमीन चाहिए। अभी प्रदेश में औसतन 190 एकड़ के लैंड बैंक हैं। 25 फीसदी इंडस्ट्रियल पार्क 85 एकड़ के हैं। जबकि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन 10 हजार हेक्टेयर का होगा। इस वक्त आवंटन के लिए करीब 20 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध है।

मानदेय पर रखे जाएंगे हटाए गए तदर्थ शिक्षक

कैबिनेट ने 2254 शिक्षकों को दी राहत

लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नवंबर 2023 में सेवा से हटाए गए 2254 तदर्थ शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। मानदेय शिक्षकों को रखने व काम लेने की नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। तय किया है कि मानदेय शिक्षकों के लिए निर्धारित प्रक्रिया व कार्य निष्पादन की शर्तों में कोई भी संशोधन, परिवर्तन मुख्यमंत्री के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद खाली हैं, इसका असर शिक्षण कार्य पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हटाए गए 2254 शिक्षकों को अस्थायी तौर से मानदेय पर रखा जाएगा। उनको उसी विद्यालय में रखने का प्रयास होगा जहां वे कार्यरत रहे हैं। अगर यहां पद खाली नहीं है तो उन्हें संबंधित मंडल में रखा जाएगा। कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने वाले (एलटी ग्रेड) को 25 हजार और कक्षा 11-12 में पढ़ाने वाले लेक्चरर को 30 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। मानदेय शिक्षक अधिकतम 62 साल की उम्र तक पढ़ा सकेंगे। मानदेय शिक्षक सृजित/नियमित पद के अतिरिक्त होंगे। अंशकालिक प्रवक्ता नियमानुसार रखे जाएंगे। इसके लिए मंडल स्तर पर कमेटी का गठन भी किया जाएगा। ब्यूरो >> तदर्थ शिक्षक मानदेय से असंतुष्ट : पेज 4

खेती में होगा नवाचार शुरू होगा स्टार्टअप

लखनऊ। प्रदेश के किसानों एवं खेती से जुड़े कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में कई नवाचार किए जाएंगे और स्टार्टअप शुरू होगा। इसके लिए प्रदेश सरकार एग्रीटेक नीति 2024 बनाने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एग्रीस्टैक योजना के तहत खेती से जुड़े सभी आंकड़ें आनलाइन किए जा रहे हैं। किसान कार्ड बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में यूपी सरकार की ओर से एग्रीटेक नीति 2024 तैयार की जाएगी। इसके तहत कृषि प्रोद्यौगिकी नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू होगा। इसमें नई डिजिटल तकनीकी, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लाक चेन, इंटरनेट आफिस विंग्स, भौगोलिक सूचना प्रणाली, ड्रोन, ई मेल प्रोसेसिंग, रिपोर्ट सेसिंग आधारित तकनीक का उपयोग कर किसानों की क्षमता वृद्धि की जाएगी। इससे फसल के उत्पादन में इजाफा होने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी।

एग्रीटेक नीति बनेगी

- **कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य 20 फीसदी किया :** एग्रीटेक के क्रियांवयन में पांच साल लगेंगे। इस पर करीब 21.65 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नीति को लेकर निदेशक कृषि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी बनेगी। अपर मुख्य सचिव (कृषि) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टियरिंग समिति भी बनेगी। यह समिति रणनीति और मार्गदर्शन देगी। राज्य सरकार की ओर से एग्रीटेक नीति के जरिए कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी प्रदेश में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की वृद्धि दर 10 फीसदी है। ब्यूरो